न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/52/2025

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2025/239

अपीलार्थी
श्री रामसिंह पुत्र छाजूराम,
नि0 ग्राम–मुबारिकपुर, तहसील–नौगावां,
जिला–अलवर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 29.07.2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 04.09.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन कियागया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांक: 19.06.2025 के द्वारा "मुकदमा सं0 1/10/2017 तारीख रजू 25.10.2017, निर्णय दिनांक: 10.05.2018 की समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति" चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 400 दिनांक: 14.08.2025 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन में वर्णित विशिष्टियों के क्रम में अंकित निर्णय दिनांक: 10.05.2018 की स्थिति में प्रत्यर्थी के न्यायालय में किसी प्रकार का निर्णय पारित होने का निर्णय पंजिका में अंकन नहीं है, तदनुसार उक्त विनिश्चय से संसूचित किया जा चुका है।
7. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया जाना विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। **अपील, अपीलार्थी खारिज** कर निस्तारित की जाती है।
8. आज दिनांक: 04.09.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)